

MR. CHAIRMAN : I shall now put the motion for consideration of the Bill to the vote of the House.

The question is:

"That the Bill further to amend the Central Sales Tax Act, 1956, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the long title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.22 hrs.

**COMMISSION FOR PROTECTION OF
CHILD RIGHTS BILL, 2005***

MR. CHAIRMAN : The House will now take up the Commission for Protection of Child Rights Bill, 2005. Shrimati Kanti Singh.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : सभापति

महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव ** करती हूँ :-

" कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों और बालकों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित विचारण या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के लिये बालक न्यायालयों का गठन करने का उपबंध करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, आज सदन में संविधान में बालक अधिकार संरक्षण विधेयक, 2005 पर चर्चा हो रही है। मैं इस विधेयक पर विस्तार से कुछ बताना चाहती हूँ।

विश्व के किसी भी देश की तुलना में भारत में बच्चों की संख्या सब से अधिक है। अनुमान है कि भारत की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत बच्चे हैं, जो 8 वर्ष से कम आयु के हैं। 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले बच्चों की संख्या 15.78 करोड़ है (जनगणना 2001)। आम तौर पर समझा जाता है कि बच्चे ईश्वर की देन है, जिनका परिवार और समाज दोनों द्वारा अच्छे तरीके से प्यार और स्नेह से पालन-पोषण किया जाना चाहिये। लेकिन, गरीबी, सामाजिक कुप्रथाओं और परम्परागत सामाजिक मूल्यों की अवहेलना के कारण बच्चों, विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों के बच्चों की उपेक्षा और शोषण के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सरकार बच्चों के ऐसे भावी मानव संसाधन के रूप में समुचित विकास हेतु उन्हें सुविधायें प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है, जो भारतीय समाज के भाग्य के निर्माता होंगे। इस तरह, एक ओर तो बच्चों को शोषण से संरक्षण

प्रदान करना और दूसरी ओर उनके विकास एवं समृद्धि के लिये बेहतर सेवायें उपलब्ध कराना एक स्वस्थ तथा सृजनात्मक समाज के निर्माण के लिये जरूरी है।

भारत के संविधान के अनेक उपबंध हैं और कई ऐसे कानून हैं, जो बच्चों के विकास एवं संरक्षण से संबंधित हैं।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 20.12.05

** Introduced with the recommendation of the President.

बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए नीतिगत उपायों वाली एक राष्ट्रीय बाल नीति भारत सरकार द्वारा 22 अगस्त, 1974 को अधिसूचित की गई थी। इस नीति में कहा गया है कि राज्य बच्चों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हेतु उनके जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात तथा उनके वृद्धि काल के दौरान उन्हें पर्याप्त सेवाएं प्रदान करेगा। नीति में इस प्रकार की सेवाओं का ब्यौरा भी दिया गया है।

1974 से अब तक बच्चों के विकास के संबंध में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर अनेक उपाय किए गए हैं। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने बच्चों के विकास और उनके लिए अनुकूल वातावरण के सृजन हेतु संसाधन मुहैया कराये हैं।

भारत ने 11 दिसम्बर, 1992 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये। बाल अधिकार कन्वेंशन एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके

अनुसार हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए यह जरूरी है कि वे कन्वेंशन में उल्लिखित बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएँ।

मई, 2002 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के बच्चों पर विशेष सत्र में 'बच्चों हेतु उपयुक्त विश्व' नामक एक निष्कर्ष दस्तावेज पारित किया गया, जिसमें वर्तमान दशक में सदस्य देशों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यनीतियों और कार्यकलापों का उल्लेख किया गया। इसके फलस्वरूप, सरकार ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2005 तैयार की, जिसमें वर्तमान दशक के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों को नये सिरे से निर्धारित किया गया। बच्चों के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वर्ष 2003 में एक राष्ट्रीय बाल चार्टर को अंगीकार किया गया।

हालांकि, पिछले वर्षों में बच्चों के संबंध में चलाये गये सरकारी कार्यक्रमों और उन पर किए गए निवेश में वृद्धि हुई है, लेकिन ये सभी उपाय हमारे सम्मुख मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण से संबंधित विकास संसूचक भी अपेक्षित स्तर की प्रगति नहीं दर्शाते। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों से जुड़े सभी मुद्दों पर समग्र तरीके दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के बारे में व्याप्त कतिपय नकारात्मक सामाजिक प्रथाएं और दृष्टिकोण भी सामने आये हैं। सामाजिक जांच से यह भी पता चला है कि बालिकाओं के साथ किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं। मादा भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या और अवैध व्यापार इसके कुछ उदाहरण हैं। पूरे विश्व में संचार माध्यमों की सुगमता और प्रचार माध्यमों की

लगातार बढ़ती पकड़ के कारण बच्चों के साथ किए जाने वाले अपराध अधिक संख्या में प्रकाश में आ रहे हैं। बच्चों के शोषण के नए तरीके भी सामने आये हैं, जैसे नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और अश्लील बाल साहित्य में बच्चों को इस्तेमाल करना। आपराधिक गिरोहों के बढ़ते जाल और संचार के सुगम और त्वरित माध्यमों तथा निर्धनता के कारण बच्चों का अवैध देह व्यापार बढ़ गया है। परिवार में लड़कियों के साथ भेदभाव के कारण उन्हें शिक्षा, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। इन सभी मामलों की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

बच्चों के संबंध में बनाए गए कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से केन्द्र और राज्यों के बहुत से विभाग जुड़े हैं। आम तौर पर, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी, संगठनों की भागीदारी भी होती है। बच्चों के समुचित विकास के लिए अपेक्षित सेवाओं और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में अंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए, पूरे देश में बच्चों से संबंधित सभी क्षेत्रों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों और बनाए गए कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा इस विषय में सरकार को सुझाव देने के लिए एक कारगर तंत्र बनाना आवश्यक समझा जाता है। बच्चे समाज का सर्वाधिक कमजोर वर्ग हैं, क्योंकि वे अपनी जरूरतों और समस्याओं को एकजुट होकर व्यक्त नहीं कर पाते। चूंकि, देश के लगभग 40 करोड़ बच्चों अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, इसलिए एक ऐसा सांविधिक निकाय बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसकी सिफारिशों की अनदेखी न की जा सके और जो बच्चों

को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल कारगर उपाय कर सके। तदनुसार, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, प्रस्ताव है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005 के अनुसार संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की जाए। विधेयक में राज्यों में राज्य आयोगों तथा बालक न्यायालयों का गठन करने का भी प्रस्ताव है।

यह विधेयक राज्य सरकारों तथा बच्चों से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के साथ व्यापक परामर्श करने के पश्चात् तैयार किया गया है। विधेयक की विषयवस्तु को अंतिम रूप देने से पूर्व जनमत भी प्राप्त किया गया है और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी परामर्श किया गया है। 2 मई, 2005 को इस विधेयक को लोक सभा में पेश किया गया। इसके पश्चात् इसकी जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति को इसे भेजा गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मौखिक साक्ष्य देने के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए और समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया। समिति ने इस प्रस्ताव के बारे में गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट अगस्त 2005 में लोक सभा तथा राज्य सभा में प्रस्तुत की गई। समिति की संस्तुतियों पर मंत्रालय द्वारा गहन विचार किया गया और उसकी उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया जो बच्चों के हित में हैं। विधेयक में संशोधनों को अंतिम रूप देने से पूर्व कतिपय कानूनी मुद्दों पर विधि मंत्रालय से भी परामर्श किया गया। चूंकि यह विधेयक बच्चों के हित में राष्ट्रीय महत्व का

विधेयक है, इसलिए मैं संसद के सभी सदस्यों से अपील करती हूँ कि वे इस विधेयक का समर्थन करें जिससे इस आयोग का यथाशीघ्र गठन किया जा सके।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

" कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों और बालकों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित विचारण या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के लिये बालक न्यायालयों का गठन करने का उपबंध करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : माननीय सभापति महोदय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक 2005 जो सदन में चर्चा के लिए आया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। समर्थन करने के साथ साथ कुछ बातों की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी।

माँ के गर्भ में आने के बाद भगवान ने बच्चे के लिए तो इंतज़ाम कर दिया कि उसके जन्म लेने से पूर्व ही माँ के स्तनों में दूध आ गया ताकि वह भूखा न रहे, इस देश में जन्म लेने के बाद वह स्वस्थ रहे, सुन्दर रहे और अच्छी तरह से अपना जीवन चलाए। पर दुख इस बात का है कि आज़ादी के 58 साल बाद आज हमको अपने देश के बच्चों का बचपन याद आ रहा है। बहुत देर हो गई, पर फिर

भी मैं माननीय मंत्री अर्जुन सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगी कि 58 साल बाद वह कम से कम बच्चों का बचपन याद करते हुए इस बिल को लाए।

आज हमारे देश में बचपन गिरवी रखा हुआ है, बचपन जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस देश के साढ़े तीन करोड़ बच्चे या तो भूख से बिलबिलाते हुए झूठी पत्तलें चाट रहे हैं या अपना पेट भरने के लिए कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए हमको चाय पिलाते हुए कप-प्याले धो रहे हैं, या वह बचपन जंजीरों में जकड़ा हुआ है जिनको पढ़ाने के नाम पर, जिनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर उनका धर्मान्तरण किया जा रहा है। बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां बचपन जंजीरों में जकड़कर उनका धर्म परिवर्तन करके उनको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बहुत से सदस्य इस पर निश्चित रूप से बैठे-बैठे टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। आप पूर्वोत्तर राज्यों में जाइए, छत्तीसगढ़ में भी दो साल पहले यह स्थिति थी। मैं स्वयं उस क्षेत्र की गवाह हूं जहां से मैं चुनकर आती हूं। बचपन को धर्मान्तरण की अंधी आग में भी झोंका जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बलात्कार का भी जिक्र किया। दो वर्ष से लेकर 12-14 वर्ष तक की बच्चियां भी बलात्कार की शिकार होती हैं। इनका बचपन इनको कौन लौटाएगा? कौन इनके बचपन को लौटाने की जिम्मेदारी लेता है? जो बचपन राष्ट्रपति बन सकता है, जो बचपन प्रधान मंत्री बन सकता है, जो बचपन अच्छी माँ बन सकता है, जो बचपन अच्छा और उत्तम किसान बन सकता है, जो बचपन अच्छा उद्योगपति बन सकता है, वह बचपन

जिसकी करीब चार लाख की संख्या मंत्री महोदया ने बताई, वह बचपन लौटाने की जिम्मेदारी कौन लेगा?

इस विधेयक में दो तीन प्रावधान रखे गये हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। 58 साल बाद तो उनको बचपन का होश आया, उन्होंने बचपन की सुध ली, परंतु उसको संवारने के लिए जब तक उसमें महिला का प्रावधान नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि बचपन ठीक से सुधरेगा। आयोग में जो छः सदस्यों की नियुक्ति करने की बात कही गई है, उसमें महिला का प्रावधान नहीं रखा गया है। मैंने इस विधेयक को पूरा पढ़ा है लेकिन उसमें इस संबंध में कहीं लिखा नहीं है कि छः सदस्य कौन रहेंगे, उनकी शिक्षा क्या रहेगी और उसमें महिला का जिक्र भी कहीं नहीं है।

महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि अगर बचपन को अच्छा संरक्षण देना है, बचपन को अच्छा बनाना है, जवानी की दहलीज तक ले जाकर भविष्य में अच्छा नागरिक बनाना है, तो महिलाओं को साथ में लेना बहुत जरूरी है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों में छिपा होता है। भारत का भविष्य बचपन से गायब हो कर सीधे बुढ़ापे की ओर आ गया है। आज जो यौन विकृतियां आ गई हैं, उनका मूल कारण बचपन को नजरअंदाज करना है। जो आपराधिक तत्व पैदा हो रहे हैं, उनका भी कारण बच्चों की ओर ध्यान न देना है। महानगरों की सड़कों पर बालक-बालिकाएं चौराहों पर गाड़ियों के बीच में भीख मांगते हैं। यह दृश्य हम रोज देखते हैं। हमारी गाड़ी का शीशा बंद रहता है तो ठक-ठक करते हैं और कहते हैं कि भूख लगी है, कुछ दे दो। हम कहां बचपन को देख रहे हैं? अगर बचपन को

देखना था, तो 58 साल पहले देखना था, लेकिन हम आज देख रहे हैं। आज निश्चित रूप से हम इस पर गौर करेंगे।

आपने राज्यों में भी आयोग बनाने का प्रावधान रखा है, निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका राजनीतिकरण न हो, यह केवल कानून के बंधन में बंध कर न रह जाए। संविधान ने हमें बहुत अधिकार दिए हैं। निशुल्क बच्चे-बच्चियों को पढ़ाने का प्रावधान किया है। बच्चे कहां पढ़ते हैं? कारखानों में जाइए, वहां बाल श्रमिकों की लाइनें लगी हैं। कोयले की खदानों में बाल श्रमिक बहुत ज्यादा तादाद में काम करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत साल पहले कहा करते थे कि जब एक बच्चा 12-13 साल का हो जाता था और उसके बाद अगर दूसरा बच्चा होता था, तो पहले बच्चे को नाम दिया जाता था - लड़का पवैया। लड़का पवैया, मतलब बच्चों को खिलाने वाला बच्चा। उसका बचपन तो छोटे बच्चों को खिलाने में ही निकल गया। आपने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से मैं इसका स्वागत करती हूं, पर उन प्रावधानों के साथ कि इसमें महिलाओं को अवश्य जोड़ा जाए ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। आपने बच्चों को भगवान की प्रतिमाओं के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चों की स्थिति का सर्वे जरूर होना चाहिए। जहां-जहां बच्चे काम कर रहे हैं, वहां जब हमारे इंस्पेक्टर जाते हैं, तो वे बच्चों भगा दिए जाते हैं। मुख्य रूप से बच्चे कोयला खदानों में काम कर रहे हैं, बुनकर बन कर काम कर रहे हैं, शराब की बोतलों में शराब भरने का काम कर रहे हैं

और ज्यादातर जो बालिकाएं हैं वह शिक्षा के अभाव में अपना जीवन निश्चित रूप से नारकीय बिता रही हैं। यह विधेयक यहां पर आया है। मैं इसका समर्थन करती हूं और स्वागत भी करती हूं, पर इस बात के साथ कि इसका राजनीतिकरण न हो। इसे समाज का एक स्वस्थ और सुंदर स्वरूप देते हुए इसका गठन किया जाए।

SHRIMATI D. PURANDESWARI (BAPATLA): Sir, I rise to support the Bill which is taken up for discussion today. It provides for the constitution of a National Commission and State Commissions for Protection of Child Rights and Children's Courts for providing speedy trial of offences against children or of violation of child rights and for matters connected therewith.

Children, that is, persons below 18 years of age, constitute 40 per cent of our population and India is the country which is home to the largest child population in the world. Our Constitution has rightly guaranteed several rights for our children like equality before law, free and compulsory primary education to children between 6 and 14 years of age, prohibition of trafficking and forced labour of children and prohibition of employment of children below 14 years of age in factories, mines and other hazardous occupations. The Constitution of India further enjoins that at the tender age, children should not be subjected to any kind of abuse, and driven by economic necessities these children should not enter into avocation that is unsuited to their age and strength.

On a positive note, the Constitution declares that steps should be taken to ensure:

"That children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment."

Alongside India has also participated in the U.N. General Assembly Summit in the year 1990, which adopted the Declaration on Survival, Protection and Development of Children.

Sir, India is a signatory to the UN Convention on the Rights of the Child in the year 1992 which makes it incumbent to protect and monitor the rights and privileges that our children have been guaranteed or enumerated in the Convention. Sir, the most recent initiative taken by India in this direction is to adopt the National Charter for Children in the year 2000.

Sir, with these Constitutional provisions and international initiatives, there is a genuine need and necessity to put in place an agency that would monitor the implementation of various rights and privileges that have been guaranteed to our children in various national and international declarations and also in various statutes. The Bill that is brought forward today seeks to actually fulfil this necessity. It seeks to set up a National Commission for the protection of child rights at the Centre and it also seeks to set up State Commissions in the various States which would effectively implement the provisions regarding the rights and privileges of children.

Sir, an examination of the functions of the Commission clearly reveals that it is very comprehensive and elaborate. The Commission is empowered to examine various safeguards with regard to the protection of child rights and it also looks into the factors that lead to the violation of rights of those children who have been affected by communal riots, terrorism, natural disasters, trafficking, HIV/AIDS, etc. However, Sir, the Bill does not take care of those children who have been afflicted by drug addiction. I hope that the Commission that would be set up now would take care of these children also. It is heartening to know that the Bill empowers the Commission to take care of those children who are in distress. It also empowers the Commission to take care of those children who are marginalized, who are disadvantaged and also take care of children of prisoners also.

Sir, for ensuring speedy trial of offences of violation of child rights, provisions have been made in the Bill for the setting up of child courts. A designated child court will be set up in each High Court and a public prosecutor would also be designated for this purpose.

Sir, in addition to this, the Commission, upon completion of an inquiry, can directly refer the cases to the Supreme Court and the High Courts without Government intervention. This is a statutory provision which is expected to cut down on the bureaucratic process.

Sir, having touched upon the salient features of the Bill, I would now like to draw the attention of the Minister and the House to certain inadequacies which I feel need focussed attention. First, the Bill does not apply to Jammu & Kashmir. My point is that when the National Human Rights Commission is applicable to Jammu & Kashmir and when the violation of the rights of children is no lesser than violation of human rights then why is this Bill not applicable to Jammu & Kashmir? In the preamble to the Bill, that is, on page 1 of the Bill, reference to the Constitution of India should be made rather than to the Governmental policies because it is our Constitution that guarantees several rights to our children. Similarly, in Clause 2(a) also, a reference to Constitution of India should be made. And in Chapter II with regard to constitution of the National Commission, the President should be appointing authority and, rightly as has been pointed out by the speaker before me, at least 50 per cent of the members of the Commission should be women.

Sir, the Chairperson and the members of the National Committee should have a minimum period of experience in their own lines. In the Bill, a Children Advisory Group should also be created which can take part in the deliberations of the Commission and can keep in touch with the National and the State Commissions so that the Children Advisory Group can keep them updated or upgraded on the problems relating to the children. Sir, the selection of the Chairperson should also be done by a three-member Selection Committee headed

by no less a person than our hon. Prime Minister and then assisted by the Minister for Human Resource Development, and also the Minister for Social Justice and Empowerment because this is a very high powered Commission that we are talking about. We are talking about the future of our children.

Sir, the budget provisions as laid down in clause 12 and 27 of the Bill might affect the independence of the Commission. It is proposed that the fund allocation should be decided by Parliament and not by the Ministry of Human Resources Development.

Also, the salaries and allowances of the Chairperson and the Members, after they have been appointed, should not be altered to their disadvantage.

Clause 33 of the Bill leaves very little elbow room and initiative for the free and independent functioning of the Commission. A high-powered Commission such as this one cannot be expected to take orders from bureaucrats. Rather, the law should provide that documents like the CRC and NCC should provide the guiding principles for the Commission to function.

The Bill proposes setting up of two sets of Commissions - one at the Centre and another at the State level. It however does not define the inter-state relationship between the national and the State-level commissions. This needs to be defined because otherwise this could lead to a conflict of jurisdiction and also lead to overlapping of powers and functions.

The Bill does not seem to include cases of violation of child rights by the police, paramilitary and Armed Forces. There have been several cases of atrocities committed against children by them. In view of this, a clause should be provided to cover them too.

Before I end, I would like to utter a word of caution. Government schemes tend to perpetuate the institutional model of care, even though planners are aware of the disastrous effects of long-term institutionalisation. Government schemes are pegged to numbers and targets and grants are released to them based on the numbers. Here, we need to remember that low quantum funds lead to sub-standard

care. Institutions do not teach children to live a life; they actually teach them to live within the institutions. This has to be taken care of in the case of the National Commission for Children.

The problems that children face in our country are many but most of these problems are not of their own making. It is the elders who are responsible for their difficulties and the children simply inherit them.

The Supreme Court of India has given several directives and guidelines from time to time against child labour and child exploitation as in *Mehta Vs. State of Tamil Nadu*, 1997 or *Vishal Jeet Vs. Union of India*, 1990, to quote just a few cases. However, they have not been enforced with any kind of sincerity. My apprehension is that those guidelines and directives might not be enforced with sincerity in the case of the State-level and national level Commissions and hence I appeal that it should not be repeated.

Similarly, to make the National Commission more functional, with a human spirit, after the Bill is passed and before the National and State-level Commissions are put in place, a status report on the children and the problems of the children, right from their birth to education, medical attention, hazardous employment, and bonded labour should be created and that national document should be the starting point for the functioning of these Commissions.

Finally, children are the greatest assets for any country and before I end, I would like to quote the Nobel Prize Winner, Gabriela Mistral, who wrote:

"We are guilty of many errors and many faults but our worst crime is abandoning our children and neglecting the fountain of life. Many of the things we need can wait. The child cannot. To him, we cannot answer, 'Tomorrow'. His name is 'Today'."

With these, words, I extend my support to the Bill.

SHRIMATI C.S. SUJATHA (MAVELIKARA): Sir, at the outset, thank you for giving me this opportunity to participate in this important discussion.

I rise to support the Bill. This legislation has been brought with the intention of protecting the rights of the children and hence the Bill should address the overall needs of survival, protection and development of the child and should fulfil the promises made in the UNO's Child Rights Convention of 1989. The Commission would be capable of guarding children against violation of their rights.

Even though the formation of Commissions would be a right step, I have some doubts on whether merely forming of Commissions at the national level and State-level with limited scopes of performance and authority would serve the purpose. In fact, what is needed is a comprehensive legislation containing all requirements.

I have some suggestions and amendments to this Bill. The Bill should give legal status to the rights of the child as enunciated in the Child Rights Convention and special rights of the girl child as proclaimed in the Beijing Conference.

A child has to be defined as human child from the day it is germinated in the womb of its mother and till it attains 18 years.

In our country, the child abuse and violation of child rights are rampant. They are the victims of socio-economic conditions. Children, especially the girl children, bear the brunt of the customs and religious practices in this country. Child marriages, though banned, take place in various parts of our country. In Rajasthan, Madhya Pradesh and many other States, such cases are being reported often. It was only recently that an *Anganwadi* worker was mutilated for trying to stop the conduct of a child marriage in a village in Madhya Pradesh. There is enough number of examples.

To be effective, the Commission should be vested with judicial power. The National Commission should be chaired by a sitting or retired judge of the Supreme Court, and the State Commissions by sitting or retired judges of the High Courts. The National Commission is to be appointed by the Indian President and State Commissions by the State Governors from the panels constituted by the

Prime Minister and State Chief Ministers respectively, on the advice of the expert committees, for a period of five years. The age limit of the Chairman is to be 70 years and of members 65 years. The Chairman and Members are to have child-friendly attitude.

In addition to the powers mentioned in section 14 of the Bill, rights and powers of Enquiry Commissions as contained in the Commissions of Inquiries Act, 1952 as amended by the Amendment Act of 1971, right to call for reports from the Central Government and State Governments and right to give an interim relief to the child subjected to violence on its body or mind and also to its family, wherever necessary, is to be included.

In addition to the duties mentioned in section 13 of the Bill, duties and responsibilities to investigate on child labour, child abuses, cruelty to children within and outside their homes and interference in cases of violation of child rights with the permission of the court are to be included.

The Commission should meet at least once in three months. Rules of procedure of the Commissions should be decided by the Commissions, with the consent of the Governments.

In addition to the steps and procedure included in the Bill, provision to give a copy of the inquiry report to the aggrieved party, responsibility of the concerned authority to take appropriate decision in a time-bound manner on reports and directions by the Commission and responsibility of the concerned individual or authority to implement the directions of the Commissions have to be included.

Lastly, provision of adequate funds to the Commission to discharge their duties and functions as per the Bill by the Government concerned has to be ensured through the Bill.

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि जनता की राय जानने, सलाहकार समिति के सम्पूर्ण निर्णय

के बाद और जो बाल विकास के कार्यक्रम में लगे हुए गैर-सरकारी संगठन हैं, उन सबसे मशविरे के बाद मुकम्मल रूप से इस सदन के सामने रखा गया है।

महिलाओं की तरक्की के लिए, पिछड़े वर्गों की तरक्की के लिए, अनुसूचित जाति, जनजातियों की तरक्की के लिए आयोग थे, लेकिन हमारे परिवार का जो सबसे कमजोर तत्व है, उसके हितों की रक्षा के लिए कोई इस तरह का संरक्षण देने वाला आयोग नहीं था। इसकी एक खास जरूरत थी, उसको सरकार ने पूरा करने में पहल की, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं।

जब मैं विद्यार्थी था तो मैंने डॉ. राम मनोहर लोहिया का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भाषण सुना। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार का जो सबसे कमजोर तत्व है, वह बालक है और मेरी कभी-कभी इच्छा होती है कि सारी लड़ाई छोड़कर बालकों की हित रक्षा के लिए ही अब काम करूं, बाकी कोई काम मुझे नहीं करना है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। उसमें अपने हाकिम से जब दफ्तर में गुस्से को बाबू सुनता है तो अपने अधिकारी से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने घर में जाकर अपनी बीवी को पीटता है। जो अपने ऊपर के हाकिम का गुस्सा है, वह अपनी बीवी पर उतारता है।

बीवी भी अपने पति का कुछ नहीं कर पाती है और पति का गुस्सा अपने बच्चों पर उतारती है। सबसे अंतिम गुस्से का शिकार हमारे परिवार में बच्चा होता है। इसलिए उसकी हित रक्षा सबसे बड़ा मानवीय कर्तव्य है और उस काम को हमें कानून बनाकर करना चाहिए। इस बारे में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास

हुए हैं। हमारे देश में जब आपातकाल लागू था, उस समय बंधुआ मजदूरी खत्म करने का कानून संसद ने पास किया था। अबोध बालकों से काम लेने की प्रथा को समाप्त करने के लिए भी हमारी संसद ने कई कानून बनाए। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपना जन्मदिन ही बालदिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया था और आज भी 14 नवम्बर अनवरत बाल दिवस के रूप में इस देश में मनाया जाता है। बालकों की रक्षा हमारा कर्तव्य है। यह संदेश अपने जीवन से इस देश के राष्ट्र पुरुष पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया। जब हम व्यापक स्तर पर देखते हैं तो पता चलता है कि जिस सीमा तक एक के बाद एक प्रयास किए गए हैं, वह कारगर नहीं हुए। आज भारत के बालक सबसे अधिक कुपोषण के शिकार हैं। दुनिया से रिपोर्ट आ रही है कि पूरी दुनिया में 40 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। भारत के एक राज्य का सर्वेक्षण हुआ। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री यहां बैठे हैं, दिल्ली से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी अखबार ने बहुत ही सुखियों के साथ इस बात को प्रकाशित किया कि जिस राज्य को हम सबसे अधिक उन्नत मानते हैं, उस राज्य के सबसे अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार होकर दो वर्ष की उम्र में ही मर जाते हैं और उनकी तादाद लाखों में थी। ऐसा उस अखबार ने लिखा। यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गरीब राज्यों में तो और भी भयावह स्थिति है। इसलिए बालकों के जीवन के सुधार के लिए हमने ज्यों-ज्यों उपाय किए समस्या उतनी बढ़ती गई। उर्दू में कहावत है कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज और बढ़ता गया। वही स्थिति बालकों के सुधार के बारे में भी है।

पल्स पोलियो प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया। अभी भी वह एक अभियान के रूप में पूरे देश और दुनिया में लागू है। लेकिन बच्चे अभी भी पोलियो से ग्रस्त हो रहे हैं। कई रोग वंशानुगत भी हैं। लोगों का कहना है कि हमारे देश में 25 प्रतिशत लोगों को डायबीटिज़ है। डायबीटिज़ एक वंशानुगत रोग है। बच्चों में 10-11 साल की उम्र में इस रोग के संकेत देखने को मिल रहे हैं, जिससे उनका पौरुष खत्म होने की कगार है।

एचआईवी जिसे हम एड्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें यदि कोई पुरुष या उसके परिवार का कोई व्यक्ति किसी कारण से अपने शरीर में इस रोग को धारण कर लेता है तो उसका असर उसके बच्चों पर भी पड़ता है। आज बड़ी संख्या में बच्चे एचआईवी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इसके बारे में हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक सर्वे करवाया गया था। तीन जिलों में यह मालूम हुआ कि एक हजार लड़कों के पीछे तीन सौ लड़किया कम हो गई हैं। उनकी भ्रूण हत्या हो रही है। हमने कानून बना दिया कि भ्रूण का यदि एकसरे करवाया जाता है और उसमें लड़की है तो उस भ्रूण की हत्या करने वाले डॉक्टर के खिलाफ सज़ा का प्रावधान कर दिया है। लेकिन ऐसा करवाने वाले अभिभावकों के लिए हमने क्या प्रावधान किया है? बहुत से राज्यों की तस्वीरें सर्वेक्षण में आयी हैं। चंडीगढ़ जैसे पढ़े-लिखे लोगों के शहर में, जो कि संघ शासित है, वहां एक हजार के पीछे 325 लड़किया कम हो गई हैं। बालिका भ्रूण की हत्या करवायी जा रही है। कन्या भ्रूण की हत्या जैसे निर्किष्ट और जघन्य काम में लगे

हुए लोगों की अंतिम सज़ा मृत्युदण्ड तक होनी चाहिए। मैं यह भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ।

हमारे पूरे समाज का जो भविष्य है, वह असंतुलित होने वाला है। समलैंगिक रिश्ते समाज में बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ बालात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पुरुषों की आक्रामकता बढ़ रही है। लड़के और लड़कियों के बीच में सामाजिक असंतुलन भी इसका बहुत बड़ा कारण है। इन दोनों के बीच में भयंकर अंतराल होता जा रहा है। इसके बारे में संसद और सरकार को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है।

16.00 hrs

हम बच्चों के कुपोषण खत्म करने के लिए जितनी सरकारी योजनाएं चलाते हैं, वे भ्रष्टाचार के काल में क्वलित हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। हमने बच्चों को ग्रामीण स्तर पर देने के लिए आंगनवाड़ी परियोजना शुरू की। आज उसमें कितनी लूट है, बच्चों को किस सीमा तक उनका लाभ पहुंचता है, यह एक विचारणीय विषय है। इसी तरह दूसरी योजनाएं, जैसे हमने प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे-मील स्कीम चलाई। वह स्कीम किस सीमा तक सफल है, इस पर सरकार संसद की कमेटी बनाकर उस पर विचार करे। इसलिए बालकों के स्वास्थ्य के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए, वह करें और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कठोर से कठोर दंड देने का प्रावधान बनाएं।

इस सुझाव के साथ मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करते हुए मंत्री जी ने इसे पेश किया, उन्हें धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।